उपनिवेशवाद का प्रथम चरण : वाणिज्यिक चरण (1757-1813)

उद्देश्य : अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना ताकि उसका एक बड़ा भाग भारतीय व्यापार में निवेशित किया जा सके।

राजनीतिक नीति	प्रशासनिक नीति	आर्थिक नीति	सामाजिक नीति	सांस्कृतिक नीति
घेरे की नीति अर्थात् शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरे रखना।	कुछ परिवर्तनों के साथ मुगल प्रशासनिक ढांचे को बनाए रखना।	हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा धन की निकासी।	भारत के प्रचलित सामाजिक ढांचे में बदलाव का प्रयास नहीं।	प्राच्यवाद पर बल दिया जाना।

उपनिवेशवाद

उपनिवेशवाद एक ऐसी विचारधारा है जो यह मानती है कि उपनिवेश का हित मातृदेश के हित के अधीन होता है। अर्थात् मातृदेश अपने आर्थिक हित में उपनिवेश की अर्थव्यवस्था का दोहन करता है। उपनिवेशवाद का अध्ययन करते हुए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है -

1. उपनिवेशवाद का अध्ययन नीति के रूप में न करके, ढाँचे के रूप में किया जाना चाहिए अर्थात् प्रशासन में बदलाव के साथ नीति बदल जाती है, परन्तु ढाँचा वही रहता है।
2. उपनिवेशवाद का अध्ययन अंतर्विरोधों की श्रृंखला (A series of contradictions) के रूप में किया जाना चाहिए। इसे हम 'पिछड़ेपन बनाम विकास' का नाम दे सकते हैं।

- दूसरे शब्दों में, उपनिवेशवाद का स्वाभाविक परिणाम होता है गरीबी एवं पिछड़ापन, जबकि उसका अनचाहा परिणाम होता है विकास। उदाहरण के लिए, रेलवे एवं आधुनिक शिक्षा (अंग्रेजी) के विकास का तात्कालिक प्रभाव था जन सामान्य पर आर्थिक दबाव तथा शिक्षा के परम्परागत मॉडल का ध्वस्त हो जाना और लोगों के बीच निरक्षरता का प्रसार, किन्तु दूसरी तरफ रेलवे और अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में राष्ट्रवादी चेतना को फैलाने में अपनी भूमिका निभाई।

3. उपनिवेशवाद मूलत: एक आर्थिक संबंध था परन्तु वह राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढाँचे को भी प्रभावित करते चलता है। ब्रिटेन और भारत के संबंध औपनिवेशिक कारकों से प्रभावित रहे थे। ब्रिटेन में जो पूँजीवाद था उसने भारत में उपनिवेशवाद का रूप ले लिया तथा ब्रिटिश पूँजीवाद के अनुकूल भारत के सन्दर्भ में उसकी आर्थिक नीति बदलती रही और उसी के अनुकूल उसकी राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नीतियों में बदलाव आया।

- **उपनिवेशवाद को हम तीन चरणों में बाँट सकते हैं-**

1. उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण (1757-1813 ई.)
2. उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण (1813-1858)
3. उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण (1858 तथा उसके पश्चात्)

उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण (1757-1813 ई.)

भारत में ब्रिटिश कम्पनी की नीति रही थी अधिकतम रूप में राजस्व का संग्रह करना तथा उसका एक बड़ा भाग व्यापार में निवेश करना। अत: ब्रिटिश कम्पनी ने भारत में अपने दायित्व को सीमित रखना चाहा क्योंकि दायित्व बढ़ाने से अधिक खर्च, कम निवेश, कम बचत की समस्या होती। इसलिए इस काल में ब्रिटिश कम्पनी की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक, सभी नीतियाँ इसी उद्देश्य से प्रेरित रही हैं।

राजनीतिक नीति

यद्यपि इस काल में ब्रिटिश कम्पनी ने अपने व्यापारिक हित के संवर्द्धन के लिए युद्ध भी लड़े एवं कुछ भू-भागों का अधिग्रहण भी किया परन्तु सामान्यत: ब्रिटिश कम्पनी की नीति रही थी जहाँ तक संभव हो सके युद्ध और विलय को टालना। इसलिए इस काल में ब्रिटिश कम्पनी के द्वारा जो नीति अपनाई गई उसे 'घेरे की नीति' का नाम दिया जाता है। दूसरे शब्दों में, शत्रु राज्यों को मित्र राज्यों से घेरना। सहायक संधि प्रणाली भी उसी का हिस्सा थी।

गवर्नर :-

- **रॉबर्ट क्लाइव (1765-67 ई.)**
- **वेर्लेस्ट (1767- 69 ई.) -**

प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध

मैसूर राज्य एवं ब्रिटिश के बीच संघर्ष के कारण :-

1. हैदर अली के द्वारा मसाला उत्पादक मालाबार क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया था, जबकि ब्रिटिश की निगाह उस क्षेत्र पर थी।
2. फ्रांसीसी कम्पनी से मैसूर की मित्रता।
3. ब्रिटिश मुख्यालय मद्रास के निकट मैसूर जैसे शक्तिशाली राज्य की उपस्थिति ब्रिटिश के लिए बड़ा खतरा।

घटनाक्रम :- ब्रिटिश कम्पनी ने मराठों और निजाम को हैदर अली के विरूद्ध भड़का दिया था, परन्तु हैदर अली ने उन्हें रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया तथा फिर ब्रिटिश पर हमला कर दिया। ब्रिटिश कम्पनी दबाव में आ गई तथा 1769 ई. की मद्रास की संधि करने के लिए विवश हुई।

गवर्नर जनरल :-

- **कार्टियर (1769-1772 ई.) :-**
- **वॉरेन हेस्टिंग्स (1772-85 ई.) :-**

प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध (1775-82 ई.):-

कारण :-

1. ब्रिटिश के द्वारा महाराष्ट्र के कपास उत्पादक क्षेत्र पर कब्जा करने का प्रयास।
2. कम्पनी के द्वारा पूना दरबार के उत्तराधिकार के मामले में हस्तक्षेप करना।

घटनाक्रम :- रघुनाथ राव के द्वारा 1775 ई. में बम्बई के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सूरत की संधि की गई। परन्तु गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इसमें जोखिम प्रतीत हुआ और गवर्नर-जनरल ने बीच में मध्यस्थता करके बम्बई के अधिकारी तथा मराठों के बीच 1776 ई. में पुरन्दर की संधि पर हस्ताक्षर करवाया। किन्तु शीघ्र ही युद्ध पुनः प्रारम्भ हो गया और जैसा कि डर था, मराठों ने बम्बई के अधिकारियों को तेलगाँव के युद्ध में पराजित कर उन्हें बड़गाँव की संधि करने के लिए विवश किया। परन्तु वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को नहीं माना और युद्ध को जारी रखा। अंत में, मराठे 1782 ई. में कम्पनी के साथ सालबाई की संधि करने को मजबूर हुए।

इस संधि में ब्रिटिश कम्पनी को सालसेट और एलिफेंटा द्वीप मिल गया तथा मराठों के साथ कम्पनी का 20 वर्षों की शांति का काल आरम्भ हुआ जिसका फायदा कम्पनी को मिला।

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध (1780-1784 ई.):-

कारण :-

- 1779 ई. में ब्रिटिश कम्पनी ने फ्रांसीसी क्षेत्र माहे पर हमला कर दिया। ब्रिटिश कम्पनी के इस कदम को हैदर अली ने अपने क्षेत्र का अतिक्रमण माना।

घटनाक्रम :- 1780-82 तक इस युद्ध का नेतृत्व हैदर अली ने किया, जबकि 1782-84 तक इसका नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया। 1784 ई. में मंगलौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ।

- **लॉर्ड कार्नवालिस (1786-93 ई.):-**

तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध (1790-92):-

कारण :- 1789 में टीपू सुल्तान के द्वारा त्रावणकोर के राज्य पर हमला जबकि ब्रिटिश कम्पनी इसे अपना संरक्षित राज्य मानती थी।

घटनाक्रम :- इस युद्ध में मराठे और निजाम भी ब्रिटिश कम्पनी के पक्ष में आ गये। अंत में, 1792 ई. में टीपू सुल्तान पराजित हुआ और उसे श्रीरंगपट्टनम् की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। इस संधि के माध्यम से टीपू को अपना आधा भू-भाग गँवाना पड़ा। साथ ही उसे 3 करोड़ 30 लाख रूपये युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ा। ब्रिटिश कम्पनी ने स्वयं मालाबार, डिंडीगुल, बारामहल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, जबकि थोड़ा सा भू-भाग अपने अन्य सहयोगियों मराठों और निजाम को भी दिया।

- **जॉन शोर (1793-98) :-**
- **लॉर्ड वेलेस्ली (1798-1805) :-** लॉर्ड वेलेस्ली फ्रांसीसी प्रसार को रोकने के लिए हिन्दुस्तान आया था। उसने अपने लक्ष्य को पाने के लिए दो प्रकार की नीति अपनाई -

1. युद्ध की नीति
2. सहायक संधि प्रणाली

युद्ध की नीति

चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध (1799 ई.):-

टीपू सुल्तान की फ्रांसीसी कम्पनी से निकटता को देखते हुए वेलेस्ली ने सबसे पहले उसे अपना निशाना बनाया और 1793 ई. में उसके विरूद्ध मेजर स्टुअर्ट और आर्थर

वेलेस्ली को भेजा। टीपू सुलतान, श्रीरंगपट्टनम् किले में लड़ता हुआ मारा गया परन्तु उसने समर्पण नहीं किया। अब ब्रिटिश ने टीपू के मैसूर राज्य से थोड़ा सा भू-भाग निकालकर ओड्यार वंश के एक राजकुमार को देकर उसे गद्दी पर स्थापित कर दिया तथा शेष भू-भाग को ब्रिटिश क्षेत्र मद्रास में मिलाकर मद्रास प्रेसीडेंसी की स्थापना (1801 ई.) की।

द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध :-

कारण :- पहली पीढ़ी के मराठा सरदार योग्य रहे थे, परन्तु 18वीं सदी के अंत तक उनकी मृत्यु हो गई थी। अब दूसरी पीढ़ी के नेता उतने योग्य और दूरदर्शी नहीं थे। इसलिए पेशवा बाजीराव द्वितीय, दौलतराव सिंधिया और यशवंत राव होल्कर के बीच आपस में संघर्ष एवं प्रतिस्पर्धा चल रही थी। इसके परिणामस्वरूप यशवन्त राव होल्कर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित कर पूना पर कब्जा कर लिया। अत: अब पेशवा ब्रिटिश कैम्प में चला गया और 31 दिसम्बर, 1802 को उसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया। यह एक सहायक संधि थी। अत: मराठा परिसंघ के अन्य सदस्यों ने ब्रिटिश हस्तक्षेप के विरूद्ध प्रतिक्रिया दिखाई।

घटनाक्रम :-

ब्रिटिश के विरूद्ध सिंधिया एवं भोंसले ने मिलकर एक मोर्चा बनाया, जबकि यशवंत राव होल्कर ने एक पृथक मोर्चा बनाया वहीं गायकवाड़ निष्पक्ष रहा। दूसरी तरफ वेलेस्ली ने मराठों के विरूद्ध दो कमान बनाये -

1. उत्तरी कमान - लॉर्ड लेक
2. दक्षिणी कमान - आर्थर वेलेस्ली

1803 में युद्ध आरम्भ हो गया जो 1805 तक चलता रहा। दक्षिण में आर्थर वेलेस्ली के हाथों सिंधिया और भोंसले दोनों पराजित हुए और फिर 1803 में कम्पनी ने भोंसले के साथ देवगाँव की संधि की और सिंधिया के साथ सुर्जीअर्जन गाँव की संधि हुई। उधर उत्तर में लॉर्ड लेक ने सिंधिया की सेना को पराजित कर 1803 में दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसका प्रतीकात्मक अर्थ था, मुगल बादशाह का मराठों के नियंत्रण से निकलकर ब्रिटिश नियंत्रण में आ जाना। परन्तु यशवंत राव होल्कर ने जाट शासक के साथ मिलकर अकेले युद्ध जारी रखा। अंत में, खर्चीले युद्ध से तंग आकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने वेलेस्ली को लंदन बुला लिया और तभी कौंसिल का एक वरिष्ठ सदस्य जॉर्ज बार्लो गवर्नर-जनरल बना और उसने 1805 में यशवंत राव होल्कर के साथ राजपुर घाट की संधि कर ली और उसी के साथ द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध समाप्त हो गया।

सहायक संधि प्रणाली तथा उसके प्रमुख प्रावधान :-

यह घेरे की नीति का ही विस्तार थी। वैसे तो इसका आरंभिक रूप डुप्ले, राबर्ट क्लाइव और कॉर्नवालिस की नीति से मिलने लगता है, लेकिन इसे औपचारिक रूप में प्रारम्भ करने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को दिया जाता है। इसके निम्नलिखित प्रावधान थे:-

1. संबंधित राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट स्थापित किया जाना था।
2. उसका खर्च संबंधित राज्य वहन करता।
3. एक ब्रिटिश रेजिडेंट (राजनीतिक परामर्शदाता) स्थापित किया जाना था और उसकी सहायता से विदेश नीति का संचालन होता।
4. बिना ब्रिटिश कम्पनी की अनुमति के किसी विदेशी को सेवा में नहीं लिया जा सकता था।
5. वैसे कम्पनी को आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी, परन्तु व्यवहार में इसका उल्लंघन हुआ।

प्रश्न: 'सहायक संधि प्रणाली ने भारत में ब्रिटिश कम्पनी की सर्वोच्चता स्थापित कर दी।' इस कथन का परीक्षण कीजिए।

■ **आर्ल ऑफ मिंटो (1870-13).....**

प्रश्न:- 'ब्रिटिश उपलब्धियों में कोई भी उपलब्धि इतनी आकस्मिक एवं अनैच्छिक नहीं है जितनी ब्रिटिश की भारत विजय।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

उत्तर :- उपर्युक्त कथन ब्रिटिश साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी लेखन यह सिद्ध करने का प्रयास करता है कि ब्रिटिश ने बेखबरी की दौर में भारत को जीत लिया। परन्तु इस कथन का परीक्षण करने पर कुछ दूसरा ही निष्कर्ष निकलता है।

यद्यपि यह सही है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन लंदन में हुआ और उसे पूर्वी व्यापार का चार्टर मिला था तब उसके समक्ष भारत जीतने की न कोई योजना थी और न ही कोई अनुकूल परिस्थिति, क्योंकि भारत में मुगल साम्राज्य जैसा एक बड़ा साम्राज्य स्थापित था। परन्तु निम्नलिखित कारणों से उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी और फिर वह सैनिक विजय के लिए तैयार हो गया।

1. मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात् राजनीतिक शून्य की स्थिति उत्पन्न होना।
2. कम्पनी के द्वारा लंदन से कीमती धातु के आयात के विकल्प के रूप में भारत से संसाधन प्राप्त करने का प्रयास ताकि भारतीय धन से भारतीय वस्तुओं की खरीद की जा सके।

प्लासी और बक्सर के पश्चात् बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई और कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा और भी बढ़

गई। फिर कभी घेरे की नीति और कभी विलय के माध्यम से कम्पनी विस्तार करती रही तथा 19वीं सदी तक ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया।

उपर्युक्त आधार पर यह मानना कठिन है कि ब्रिटिश ने बेखबरी के दौर में भारत को जीता था।

प्रशासनिक नीति

■ **इस काल में प्रशासनिक नीति की क्या विशेषता थी?**

ब्रिटिश कम्पनी, प्रशासनिक संरचना में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाना चाहती थी ताकि उसका दायित्व सीमित रहे। इसलिए कम्पनी ने मुगल प्रशासनिक ढाँचे को ही कुछ परिवर्तनों के साथ बनाये रखा। अगर इस काल में कम्पनी ने सुधार में रूचि दिखाई तो केवल राजस्व व न्याय व्यवस्था में और इसका कारण था दीवानी न्याय का राजस्व न्याय से जुड़ा होना।

गवर्नरों का काल :-

रॉबर्ट क्लाइव, वेर्लेस्ट एवं कार्टियर

■ **बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली क्या थी तथा उसका क्या प्रभाव पड़ा?**

द्वैध शासन से तात्पर्य है बंगाल के प्रशासन में कम्पनी की दोहरी भूमिका। दूसरे शब्दों में, कम्पनी का दीवानी की शक्ति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा निजामत (प्रशासन) पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। अर्थात् प्रशासन के संचालन में ब्रिटिश कम्पनी ने एक उपनवाब के पद का सृजन किया तथा नवाब की शक्ति छीन कर उपनवाब के पद में निहित कर दी गई। परन्तु इस पद पर उसी की नियुक्ति हो सकती थी जिसकी नियुक्ति की अनुशंसा कम्पनी के द्वारा की जाती। इसका अर्थ है वास्तविक कम्पनी के पास आ गई।

उत्तरदायित्व के बिना शक्ति बड़ी खतरनाक सिद्ध हुई। इस कारण बंगाल में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिला और इसका भयानक परिणाम था 1770 ई. के दशक का अकाल जिसमें बंगाल की लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई।

वारेन हेस्टिंग्स :-

■ **भू-राजस्व सुधार:-** प्रस्तावित फार्मिंग प्रणाली, अर्थात् नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले को राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया जाने लगा।

■ **न्यायिक सुधार:-**

ज़िला फौजदारी और सिविल कोर्ट- मुस्लिम कानूनों को आपराधिक न्याय में लागू किया गया था, जबकि हिंदुओं के लिये हिंदू कानून और मुसलमानों के लिये मुस्लिम कानून बनाए रखा गया। विधि संग्रह के रूप में कोड ऑफ जेन्टू लॉज, कोलब्रुक्स डायजेस्ट आदि का संग्रह किया गया। कलकत्ता में सदर दीवानी अदालत और मुर्शिदाबाद में सदर फौजदारी अदालत स्थापित किया गया।

वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा हिंदू और मुस्लिम कानूनों का संहिताकरण किया गया।

प्रश्न: यह कहना कहाँ तक सही होगा कि भारत में क्लाइव यद्यपि अंग्रेजी साम्राज्य का संस्थापक था, तो वारेन हेस्टिंग्स उसका प्रशासनिक आयोजक?

उत्तर: ब्रिटिश शासन की स्थापना एवं संगठन में राबर्ट क्लाइव एवं वारेन हेस्टिंग्स की भूमिका पर विशेष बल दिया जाता है परन्तु गौर से देखने पर यह ज्ञात होता है कि रॉबर्ट क्लाइव कम्पनी के शासन का संस्थापक था जबकि प्रशासन के संस्थापक की भूमिका वारेन हेस्टिंग्स ने निभाई।

राबर्ट क्लाइव ने कनार्टक एवं प्लासी की सफलता तथा बंगाल की दीवानी प्राप्त कर कंपनी शासन की नींव डाली किन्तु बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में लेने का साहस नहीं दिखाया। बदले में उसने द्वैध शासन स्थापित किया। दूसरी तरफ वारेन हेस्टिंग्स ने निम्नलिखित रूप में आरम्भिक संगठनकर्त्ता की भूमिका निभाई:-

1. 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में लिया।
2. राजस्व सुधार के क्रम में चुँगी वसूली को संगठित एवं मानकीकृत (standardised) किया।

उसी प्रकार, न्याय व्यवस्था के सुधार के क्रम में दीवानी तथा फौजदारी न्याय के लिए जिला एवं सदर अदालतों की स्थापना की तथा विधि संग्रह तैयार कराया।

लॉर्ड-कार्नवालिस :-

उद्देश्य:- भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना।

लार्ड कार्नवालिस भारत में किन सुधारों के लिए जाने जाते हैं?

■ **भू-राजस्व सुधार : स्थायी बंदोबस्त (1793)**

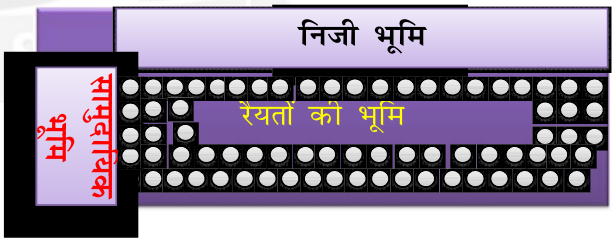

विशेषताएँ:-

■ ज़मींदारों को भूमि का स्वामी घोषित किया गया था, जबकि किसानों को अधीनस्थ रैयतों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

■ सरकार ने ज़मींदारों द्वारा देय भू राजस्व की राशि हमेशा के लिये निश्चित कर दी।

■ सूर्यास्त कानून के अंतर्गत यदि ज़मींदार अपनी बकाया राशि देय तिथि को सूर्यास्त के समय तक भुगतान नहीं कर पाता था तो ज़िला कलेक्टर द्वारा उसकी ज़मींदारी ज़ब्त

कर ली जाती थी और उसकी नीलामी कर दी जाती थी।

- यदि रैयत निश्चित समय पर भू-राजस्व की राशि का भुगतान ज़मींदार को नहीं कर पाते थे तो ज़मींदार द्वारा उसकी चल-अचल संपत्ति को नीलाम किया जा सकता था।
- सामुदायिक भूमि को ज़मींदार के निजी स्वामित्व में रखा गया था।

स्थायी बंदोबस्त का उद्देश्यः

- बंगाल में राजस्व संग्रह को स्थायी करना।
- राजस्व संग्रह को अपेक्षाकृत सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना।
- बंगाल में कृषि को बढ़ावा देना।
- बंगाल में ब्रिटिश के अनुकूल एक वर्ग तैयार करना।

मूल्यांकनः- कॉर्नवालिस अपने उद्देश्यों में केवल आंशिक रूप में सफल रहा था।

- **पुलिस सुधार** :- आधुनिक थाना प्रणाली की स्थापना।
- **न्यायिक सुधारः**- दीवानी और फौजदारी न्यायालयों का एक पदानुक्रम स्थापित किया जाना।

दीवानी अदालत

- किंग-इन-काउंसिल
- सदर दीवानी अदालत
- प्रांतीय न्यायालय
- ज़िला अदालत
- रजिस्ट्रार की अदालत
- मुंसिफ अदालत

फौजदारी अदालत

- सदर निज़ामत अदालत
- सर्किट न्यायालय
- ज़िला न्यायालय

- **सिविल सेवा** :- उसे सिविल सेवा का जनक कहा जाता है क्योंकि उसने 1793 के कार्नवालिस संहिता के आधार पर जिला कलेक्टर से न्यायिक शक्ति ले ली और उसके पास केवल राजस्व का अधिकार रहने दिया तथा उसके वेतन और अन्य सुविधाओं को बढा दिया।

प्रश्नः- स्थायी बंदोबस्त की संरचना को स्पष्ट करते हुए उसके प्रभाव को दर्शाइए?

उत्तरः- स्थायी बंदोबस्त की निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं -

1. लॉर्ड कार्नवालिस ने जमींदार को भूमि का स्वामी और स्वतंत्र किसानों को अधीनस्थ रैयत में परिवर्तित कर दिया।
2. भूमि को विक्रय योग्य बना दिया।
3. सामुदायिक संपत्ति को जमींदार के स्वामित्व में रख दिया गया।
4. 1793 के सूर्यास्त कानून के अनुसार यह प्रावधान था कि एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त तक जमींदार अगर भू-राजस्व नहीं चुकता करता तो उसकी पूरी जमींदारी नीलाम हो जाती।
5. उधर रैयतों के विरूद्ध जमींदार को यह अधिकार दिया गया था कि अगर एक निश्चित तिथि तक रैयत, जमींदार को भू-राजस्व की रकम चुकता नहीं करता तो जमींदार उसकी चल और अचल संपत्ति दोनों पर कब्जा कर सकता था।

प्रभाव :- बंगाल के कृषक समाज पर इसका घातक प्रभाव पड़ा। एक तरह से अगर देखा जाये तो लॉर्ड कार्नवालिस ने बंगाल के कृषक समुदाय पर एक प्रकार की सामंती व्यवस्था स्थापित कर दी।

प्रश्न : क्या बंगाल का स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मूलतः ब्रिटिश वाणिज्यिक पूँजीवाद के हित से प्रेरित था?

उत्तरः यद्यपि स्थायी बंदोबस्त आरंभ होने के पीछे कई अन्य कारण भी उत्तरदायी थे परन्तु निश्चय ही यह वाणिज्यिक पूँजीवाद से प्रेरित था। बंगाल में ब्रिटिश वाणिज्यिक पूँजीवाद की दो प्रमुख जरूरतें थीं -

1. व्यापार में निवेश के लिए एक बड़ी रकम नियमित रूप से प्राप्त हों।
2. कम्पनी के व्यापार में वृद्धि के लिए प्रचुर मात्रा में व्यापारिक वस्तुएं उपलब्ध हों।

स्थायी बंदोबस्त ने उपर्युक्त दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। इसके तहत ब्रिटिश कम्पनी को निवेश के लिए प्रतिवर्ष एक निश्चित रकम प्राप्त होती थी। दूसरी उम्मीद यह की गई कि चूँकि कृषि के विकास का लाभ जमींदार को मिलना था इसलिए जमींदार कृषि के क्षेत्र में निवेश करेगा। इससे व्यापारिक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ेगी। यह दूसरी बात है कि कम्पनी का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका, परन्तु स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य वाणिज्यिक पूँजीवाद के हित को ही सुरक्षित करना था।

आर्थिक नीति

- इस काल में ब्रिटिश कम्पनी के द्वारा भारतीय अर्थव्यव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया तथा भारत से ब्रिटेन की ओर धन की निकासी का उद्भव हुआ।
- **बंगाल में हस्तशिल्प उद्योग में गिरावट**- ब्रिटिश कंपनी ने अपने व्यावसायिक एजेंटों (गुमाश्तों) के माध्यम से बंगाल के कारीगरों पर कड़ा नियंत्रण स्थापित किया।

प्रश्नः धन की निकासी से क्या तात्पर्य है?

उत्तरः धन की निकासी से तात्पर्य है आयात की तुलना में निर्यात को अधिक करके भारत से बाहर अधिशेष रकम का

हस्तांतरण। दूसरे शब्दों में, पहले ब्रिटिश कंपनी के द्वारा भारत से वस्तुओं की खरीद के बदले कम्पनी के द्वारा चाँदी और सोने के रूप में कीमती धातु दिया जाता था परन्तु बंगाल की दीवानी प्राप्त होने के पश्चात् दीवानी से वसूली कई रकम का एक बड़ा भाग ब्रिटिश कम्पनी के द्वारा व्यापार में निवेशित की जाती रही और ब्रिटेन से किसी धातु का आना लगभग बंद हो गया। इसका अर्थ था अब वस्तुएं भी भारत से और रकम भी भारत से इकठ्ठा किया जाने लगा।

सामाजिक नीति

- कंपनी ने सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने में रुचि नहीं ली थी। उसने भारत में पारंपरिक सामाजिक संरचना को बनाए रखा।

सांस्कृतिक नीति

- उपनिवेशवाद के व्यावसायिक चरण की मांग सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में पारंपरिक संरचना को बनाए रखने की थी। इसलिये, इस अवधि के दौरान एक विचारधारा के रूप में प्राच्यवाद को बढ़ावा दिया गया।
- प्राच्यवाद ने भारत की प्राचीन संस्कृति का महिमामंडन किया और इस बात पर बल दिया कि यद्यपि भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति से अलग है, परंतु उससे निम्न नहीं।
- ब्रिटिश सरकार का मानना था कि भारत पर शासन भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार करना चाहिये। इस चरण में मुस्लिम तथा हिंदू कानूनों के संहिताकरण का प्रयास किया गया तथा कलकत्ता मदरसा (1781), बनारस में संस्कृत कॉलेज (1791) जैसे शैक्षणिक संस्थानों की नींव रखी गई।

■■■

KHAN GLOBAL STUDIES
Kisan Cold Storage Campus, Musallahpur, Patna-6
KHAN SIR